

Form No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

Order No. 2024/81

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,

फरसारा म पुत्र लाभूराम जाति जाट निवासी कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम भगवाराम वगै.

मुकाम श्रीडूंगरगढ

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 48/2024

U/S 212 RTA

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

01.02.2024

आज यह प्रार्थना पत्र फरसारा म ने जरिये श्री पूनमचन्द मारु अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध, संलग्न दस्तावेजों यथा जमाबन्दी व खसरा नक्शा 827/500, 1086/828 विनिमय पत्र प्रतिलिपि 19.05.2009, दान पत्र प्रतिलिपि 07.12.2022 नायब तहसीलदार रिपोर्ट प्रतिलिपि दिनांक 12.03.2022 का अवलोकन किया गया। उक्त के आलोक में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि आगामी सुनवाई तिथि तक उभयपक्ष खेत खसरा नंबर 827/500 तादादी 1.0117 व खसरा नंबर 1086/828 तादादी 0.5058 वाकेरोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ में मौके की यथास्थिति बनाए रखे एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करेगे।

अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 11.03.2024 को आकर पेश करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी अधिवक्ता सीपासी आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 11.03.2024 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

11-03-2024

पत्रावली पेश हुई। अनुत्तर उपस्थित।
SDO Sb R.O. श्रीडूंगरगढ के
कारण पत्रावली वास्तुतः तलब हेतु
दिनांक 22.05.2024 को पेश हों।

रीडर



